

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2016/ 1164

दिनांक:- 3/2/16

आदेश

आवासीय अभियन्ता, खण्ड अजमेर के अधीन पंचशील आवासीय योजना, अजमेर में अनिस्तारित आवासों को नीलामी के माध्यम से निस्तारण किये जाने हेतु दिनांक 13.01.2006 को आयोजित समीक्षा बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त विशेष अभियान 2015-16 के अन्तर्गत नीलामी के तहत किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	योजना	कुल संख्या	आय वर्ग	फ्लेट नम्बर
1	पंचशील आवासीय योजना, अजमेर	07	HIG MIG-B MIG-A	3/28 E 2/186, 3/192, 4/257 3/71, 3/76, 6/21
		कुल 07		

उपरोक्त आवासों को निर्देशानुसार निम्न शर्तों के आधार पर नीलामी योजना में आवासीय फ्लेटों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

1. आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त आवासों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवास/फ्लेट नीलामी योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त आवासों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. आवासों का निस्तारण नीलामी योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित आवासों में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है तथा नियमानुसार विधिवत् निरस्त किये गये हैं।

उक्त आदेशों को पत्रावली के पैरा 20-21/एन पर आवासन आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


सम्पदा प्रबन्धक (मु0)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), प्रथम/द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय, रा0आ0म0 जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-अजमेर, रा0आ0म0 अजमेर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


सम्पदा प्रबन्धक (मु0)